संख्या: 3/2022/ I/149819/22 /49-3-2022

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 1089/कृषि-निवेश/बी-305, दिनांक 07.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में क्रमांक-1 पर प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वांछित धनराशि का विवरण रूपये लाख में अंकित करते हुए उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण प्रदेश के कृषकों को समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गयी अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-18-लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों को अग्रिम भण्डारण-27 सब्सिडी की मद में रूपये 15000.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रू0 1956.46 लाख **(रूपये उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छियालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **की प्रतिपूर्ति निम्न विवरणानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया** निम्न शर्तो के अधीन निर्गत करने की **सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं** -

धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	संस्था/समितियों की कुल धनराशि का विवरण	पूर्णांकित कुल धनराशि का विवरण (लाख रूपये में)
1	2	3	4
1	पीसीएफ	18,28,74,287	1828.74
2	जिला सहकारी फेडरेशन लि0, बुलन्दशहर	10,16,621	10.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	जिला सहकारी फेडरेशन लि0, प्रयागराज	12,27,337	12.27
4	जिला सहकारी विकास संघ लि0मुजफ्फरनगर	8,71,478	8.71
5	जिला सहकारी विकास संघ लि0 , सहारनपुर	29,17,464	29.17
6	जिला सहकारी संघ लि0 , गाजीपुर	1,21,403	1.21
7	जिला सहकारी संघ लि0 , बिजनौर	6,51,392	6.51
8	केन्द्रीय उपभोक्ता सहाकरी भण्डार लि0, प्रतापगढ	4,39,350	4.39
9	जिला सहकारी फेडरेशन लि0, सीतापुर	16,324	0.16
10	उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, सीतापुर	58,978	0.58
11	उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखीमपुर खीरी	4,29,088	4.29
12	सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 आगरा	7,54,061	7.54
13	सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 केरूगंज शाहजहांपुर	6,83,797	6.83
14	जिला सहकारी फेडरेशन लि0, उरई (जालौन)	12,44,042	12.44
15	उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, पीलीभीत	4,13,658	4.13
16	जिला सहकारी संघ लि0, उन्नाव	2,72,906	2.72
17	सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 जंगीपुर गाजीपुर	90,417	0.90
18	जिला सहकारी संघ लि0, आजमगढ़	96,138	0.96
19	सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0, रामपुर	71,786	0.71
20	सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 शाहबाद रामपुर	34,858	0.34
21	जिला सहकारी संघ लि0, मथुरा	13,70,002	13.70
	योग	**19,56,55,387**	**1956.46**

कुल धनराशि ₹ 19,56.46 (रूपये उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छियालिस हजार मात्र)

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व विभाग का होगा।

(2) विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के भुगतान में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्रावधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

(9) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375-दस- 2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित निर्देशों के परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0-ई-2-345 /दस-2021-22, दिनांक 24.03.2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3/2022/ I/149819/22 (1)/49-3-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।